

**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद**  
**प्रेस विज्ञप्ति**

आज दिनांक 13/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में एलगिन रोड कमला नेहरू रोड शिव राम दास गुलाटी रोड से नाला नाली एवं सड़क पटरी के दोनो ओर से अतिक्रमण हटा दिया गया अभियान के दौरान 03 बोर्ड,03 लोहे की जाली/ग्रील 01 टीन सेड,02 भटठी, 07 नई रखी गयी झोपड़ीव चूल्हे,07 बॉस-बल्ली की सीढी, 12X25, 10X50 तथा 12X40 फिट के 03 बाड़ एवं मुख्य सड़क पर लगी फल मन्डी हटाया गया। दो ट्रक अतिक्रमण सामग्री स्थल से हटाया गया। नगर निगम द्वारा रूपया 11000.00 का जुर्माना भी वसूला गया।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से ओ0एस0डी0 श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम से श्री पाण्डेय के अतिरिक्त पुलिस/ पी0ए0सी0 बल,एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में आज अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा समस्त 06 जोन में की गयी कार्यवाही निम्नवत है—

इस प्रकार कुल 03 चालान, 38 नोटिस निर्गत की गयी, 03 शमन मानचित्र दाखिल कराये गये तथा 120X115 फिट में निर्मित बाउन्ड्रीवाल ध्वस्त कराया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

/s/   
ए0के0 पाण्डेय  
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

**प्रतिलिपि:—** सम्पादक— समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

/s/   
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क